रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2008/भाद्र 31, 1930
No. 1331] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2008/BHADRA 31, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2008

का.आ. 2244(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), उत्तराखण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण, उत्तराखण्ड कहा गया है) का गठन करती है जिसमें उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य होंगे/जो निम्नलिखित हैं :—

1.	डॉ. भगत सिंह बुरफल, गांव दान्ती, पो. आ. रांथी, मुंसियारी, जिला पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	अध्यक्ष, वानिकी और वन्यजीव, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया आदि
2.	डॉ. रमेश चन्द्र शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, पो. बाक्स-67, श्रीनगर-गढ़वाल 246174, उत्तराखण्ड	सदस्य (गैर-सरकारी) जीव विज्ञान
3.	सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखंड	सदस्य सचिव

2. अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. उक्त प्राधिकरण, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई है।

4. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तराखण्ड का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

1.	डॉ. गोविन्द जोसफ चक्रपाणि अर्थसाइंस विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की 247667	अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता
2.	डॉ. कर्ण कुमार सिंह भाटिया 166/8, फ्रेंडस लेन, सोलानी पुरम रुड़की-246667	सदस्य, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया और पर्यावरण गुणवत्ता
3.	डॉ. देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, वैज्ञानिक और अध्यक्ष, पारिआर्थिक और पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण कोर जी. बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डिवलेपमेंट, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा- 263643 उत्तराखण्ड	सदस्य, पर्यावरण आकलन प्रक्रिया और जोखिम आकलन

4. श्री मोहम्मद अयूब खान पूर्व प्रधान सदस्य, मुख्य वन संरक्षक, त्रिपुरा, 66 प्रकाश विहार, धर्मापुर, पो.आ. अरघर, देहरादून, उत्तराखण्ड — वानिकी और वन्यजीव, पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया आदि

5. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण सचिव बचाव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड

5. उक्त प्राधिकरण, उत्तराखण्ड इस आदेश में उत्तराखण्ड सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगा ।

6. उत्तराखण्ड राज्य सरकार प्राधिकरण को सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, उत्तराखण्ड का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी उत्तराखण्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है।

9. एस ई ए सी उत्तराखण्ड सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. उत्तराखण्ड राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण के रूप में अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

[सं. जे-11013/55/2008-आई ए-II (I)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 2008

S.O. 2244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand (hereinafter referred to as the said Authority, Uttarakhand) comprising of three members, nominated by the State Government of Uttarakhand as under :—

1. Dr. Bhagat Singh Burfal, Village - Daanti, P.O. Ranthi Munsiari, District Pithoragarh, Uttarakhand — Chairman, Forestry and Wildlife Environment Impact Assessment Process etc.

2. Dr. Ramesh C. Sharma, Prof. and Head, Department of Environmental Sciences, H.N.B. Garhwal University, P.O. Box-67, Shrinagar-Garhwal -246174 Uttarakhand — Member (non-official), Life Sciences

3. Member Secretary, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand — Member Secretary

2. The Chairman and non-official member shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The said Authority shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

4. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Uttarakhand, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee Uttarakhand (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members, namely :—

1. Dr. Govind Joseph Chakrapani, Department of Earth Sciences, Indian Institute of Technology, Roorkee-247667 — Chairman, Environment Quality.

2. Dr. Karan Kumar Singh Bhatia, 166/8, Friends Lane, Solani Puram, Roorkee-247667 — Member, Environment Impact Assessment Process and Environment Quality.

3. Dr. Devendra Kumar Agarwal, Scientist and Head, Eco Economics and Environment Impact Anyalysis Core G. B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development Kosi, Katarmal Almora-263643 Uttarakhand — Member, Environment Assessment Process and Risk Assessment

4. Shri Mohamad Ayub Khan Ex-principal Chief Conservator of Forests, Tripura, 66, — Member, Forestry and Wildlife,

	Prakash Vihar, Dharampur, P.O. Araghar Dehradun Uttarakhand	Environment Impact Assessment Process etc.
5.	Member-Secretary, Uttrakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand	Secretary.

5. The said Authority, shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State Uttarakhand in this order.

6. The State Government of Uttarakhand shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance and Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Uttarakhand as per State rules.

7. The Chairman and Members shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Uttarakhand shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Uttarakhand shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Uttarakhand shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Uttarakhand shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Uttarakhand and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance and Dearness Allowance to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Uttarakhand as per State rules.

[No. J-11013/55/2008-IA.II (I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"